

## फैक्ट रीट

1.	प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसारी क्षेत्रफल (हेक्टर में) :-
	आरक्षित वन भूमि (वन विभाग) — 0.177 है
	वन पंचायत भूमि — 0.000 है
	सिविल सोयम भूमि — 0.348 है
	निजी / नाप भूमि — 0.000 है
	योग — 0.525 है

2. प्रस्तावक विभाग का नाम


—Vindhya Telelinks Limited, EPC Division,

Industrial Area,  
Mohali(Punjab)

3. वन प्रभाग का नाम
4. प्रस्ताव बाईडिंग किया है।
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है।
6. क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित के प्रारूप के भाग— 1, 2 व 3, के सभी बिन्दुओं की भरी गई है।
7. क्या प्रारूप में वाइंट स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण—पत्र संलग्न है।
10. बौज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न है।
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है।
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची है।
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है।
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है।
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है।
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना स्थल के आस—पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हॉ तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण—पत्र संलग्न है।
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है।
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित

से आगे बनारया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।	- हॉ / नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग—अलग रंगों से भरा गया है।	- हॉ / नहीं
22. यदि सड़क का आरभिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है।	- हॉ / नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है।	- हॉ / नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये।	- हॉ / नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलासी गयी अन्य सम्भावनाएं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र मानचित्र पर दर्शाये गये हैं।	- हॉ / नहीं
26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)	- हॉ / नहीं
27. लागत—लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5.00 हौं से अधिक के प्रकरणों में लागू)	- हॉ / नहीं (लागू नहीं है)
28. मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है	- हॉ / नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है नहीं	- हॉ / नहीं
अथवा	
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र संलग्न है।	- हॉ / नहीं
30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	- हॉ / नहीं
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण—पत्रों की फोटों प्रतियां मूल में संलग्नप हैं यदि छायाप्रतियां संलग्न की गयी हैं।	- हॉ / नहीं
32. यदि वन भूमि लोज पर दी जानी है तो लोज अवधि का प्रमाण—पत्र संलग्न है।	- हॉ / नहीं
33. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है।	- हॉ / नहीं
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण—पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है	- हॉ / नहीं
35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण—पत्र संलग्न हैं।	- हॉ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट रीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण—पत्र / सूचनाएं संलग्न कर दी गयी है।



हौं/-  
प्रभागीय वनाधिकारी